HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15392/2025

Mamta Saini W/o Shri Kalash Saini, Aged About 38 Years, R/o 42, Katewa Nagar, Gurjar Ki Thadi, New Sanganer Road, Jaipur (Raj.)

----Accused/Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP Rajasthan High Court Jaipur Bench Jaipur.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pushpendra Kumar Saini
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP
For Complainant(s)	:	Mr. Rameshwar Pilania for Mr. Ravindra Singh Shekhawat

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

26/02/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना श्याम नगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2025 अपराध अंतर्गत धारा 121(1), 132, 125, 191(2) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता महिला है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पक्ष द्वारा भी क्रॉस केस दर्ज कराया गया है। उसके विरुद्ध पूर्व में 2 प्रकरण दर्ज होना बताए गए हैं, उसमें से एक प्रकरण में वह दोषमुक्त हो चुकी है। प्रार्थीया/अभियुक्ता और परिवादी पक्ष के व्यक्तियों का आमने सामने मकान हैं। वे लोग रात्रि को बजरी लेकर आते हैं, जिससे प्रार्थीया/अभियुक्ता को

व्यवधान होता है और दूसरे पक्ष द्वारा प्रार्थीया/अभियुक्ता पक्ष के साथ मारपीट की गई तथा उनके साथ घटना कारित की गई है। प्रार्थीया/अभियुक्ता से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता को अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस जाब्ते पर पत्थर फेंके और पुलिस के कब्जे में से विजय सैनी को जबरन छूड़वा कर ले गए और पुलिसकर्मियों को राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। प्रार्थीया/अभियुक्ता के आरोपित कृत्य सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाया गया है, उसके विरुद्ध पूर्व में दो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसने आपसी झगड़े में पुलिस के आने पर उनके ऊपर पथराव किया और जब पुलिस सहअभियुक्तगण को पकड़कर ले जा रही थी, तब सहअभियुक्तगण को जबरदस्ती छुड़वा दिया। प्रकरण में वीडियो फुटेज प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें परिवादिया सारदा व प्रार्थीया/अभियुक्ता ममता सैनी आपस में एक–दूसरे के साथ गाली–गलौच कर रही है, तथा धक्का–मुक्की कर एक–दूसरे के साथ मारपीट कर रही है। पुलिस ने अन्वेषण से प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 121(1), 132, 125, 191(2) बीएनएस में अपराध प्रमाणित पाया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, जिसमें से एक में उसके दोषमुक्त होने के तथ्य आए हैं। प्रकरण में प्रस्तुत फुटेज व सीसीटीवी फुटेज से प्रार्थीया/अभियुक्ता का घटना कारित किए जाने में शामिल होना बताया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता को झूठा फंसाया

गया हो या अपराध कारित करने में प्रथमदृष्टया अंतर्वलित किया हो यह इस स्तर पर नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थीया/अभियुक्ता से अन्वेषण किया जाना शेष है।

अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीया/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **ममता सैनी पत्नी श्री कैलास सैनी** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /99